

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 12, बुधवार, शके 1947- सितम्बर 03, 2025 <i>Bhadra 12, Wednesday, Saka 1947- September 03, 2025</i>	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 01, 2025

संख्या प. 3 (55) नविवि/3/2002 :- इस विभाग द्वारा राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न सार्वजनिक / सामाजिक / धार्मिक / चैरिटेबल संस्थाओं अथवा ट्रस्ट, निजी निवेशकों आदि के द्वारा सार्वजनिक / सामाजिक सुविधाओं एवं विभिन्न संस्थागत उपयोगों यथा शैक्षणिक व चिकित्सा, उद्योगों, व्यवसायों, पर्यटन ईकाईयों आदि उपयोग हेतु रियायती दर पर भूमि आवंटन के संबंध में, पूर्व में जारी राजस्थान भूमि आवंटन नीति-2015 अधिसूचना दिनांक 26.09.2015 को अधिक्रमित करते हुए, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 90, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा 85, अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 85, उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2023 की धारा 88, कोटा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2023 की धारा 88, भरतपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2025 की धारा 88, बीकानेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2025 की धारा 88, राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 60, राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959 की धारा 43, 60 सपठित धारा 74, राजस्थान नगर पालिका, अधिनियम, 2009 की धारा 337, राजस्थान सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियम 31 एवं राजस्थान नगर पालिका (भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियम 32 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा "राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2025 (Policy for allotment of land for different objects in urban areas of Rajasthan-2025)" अधिसूचित करती है।

अतः नवीन राजस्थान भूमि आवंटन नीति-2025 की क्रियान्विति किया जाना सुनिश्चित करें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

रवि विजय,

शासन उप सचिव-प्रथम।